न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 56/2017

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1बुधाराम 2भंवरलाल 3पप्पूराम पुत्रान केसाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम माण्डलजोधा तहसील डेगाना जिला नागौर।		1नायब तहसीलदार, डेगाना। 2पटवारी माण्डलजोधा तहसील डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक:29.01.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 391/2017 सरकार बनाम बुधाराम में निर्णय दिनांक 17.03.2017 के तहत मौजा माण्डलजोधा के खसरा नं. 178, 179 व 238 गै.मु. सडक भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.05.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 02.06.2017 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार डेगाना के प्रकरण सं. 391/17 के फर्द अहकाम दिनांक 22.02.17 से 17.03.17 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 17.03.17 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना मे प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति, जमाबंदी ग्राम माण्डलजोधा की फोटोप्रति, जमाबंदी ग्राम माण्डलजोधा संवत 2017 की फोटोप्रति, ग्राम माण्डलजोधा के नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, ग्राम माण्डलजोधा के नक्शा की फोटोप्रति तथा तहसीलदार डेगाना के पत्र दिनांक 30.3.17 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.03.17 का निर्णय अपीलांट व उनके वकील को बिना बुलाये मनमाने रूप से झूठी आवाज लगाने का लिखकर इकतरफा फैसला लिख दिया और कई बार अपीलांट द्वारा व उनके वकील द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व उनके सबंधित क्लर्क से इस प्रकरण की तारीख पेशी व कार्यवाही के बारे मे पूछा तो हमेशा ही कोई जवाब नही दिया और कहा कि आपको अपने आप सूचना मिल जायेगी। अपीलांट इस भरोसे मे रहे और उन्होने अनुपस्थिति दर्ज करके अपीलांट को उनकी जमीन से बेदखल करने व जुर्माना वसूल करने का आदेश सुना दिया। पहले अपीलांट को कोई जानकारी नही थी। जिससे अपीलांट की अपील जानकारी के दिन से अंदर मियाद शुमार फरमाई जाना आवश्यक है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलांट ने दिनांक 06.03.17 के बाद कई बार रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कार्यालय मे उनके संबंधित बाबू व स्वयं रेस्पोडेन्ट से उनके प्रकरण मे तारीख पेशी बताने बाबत निवेदन किया, मगर उन्होने कोई परवाह नही की और कहा कि जब जरूरत होगी, तब बुला लेगे और फिर बदनियति से गांव की

अपर कलक्टर, नागौर

राजनीति के प्रभाव मे आकर दिनांक 17.03.17 को अपीलांट व उनके वकील की अनुपस्थिति दर्ज करके यह निर्णय किया।

{2}(II)–अपीलांट के वकील तो न्यायालय परिसर मे जो विश्राम गृह बना हुआ है, उसमे ही बैठते है और कोई भी अगर नायब तहसीलदार के कार्यालय से उन्हे आवाज लगाये तो आसानी से सुनी जा सकती है, मगर अधिवक्ता को आवाज लगाने व अपीलांट का आवाज लगाने का झूठा लिखकर उनकी अनुपस्थिति दर्ज करके बदनियति से अपीलांट को नुकसान पहुचाने व उनकी जमीन से उन्हे बेदखल करने की बदनियति से यह फैसला एकपक्षीय किया।

{2}(III)–अगर अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते तो अपीलांट पूरे सबूत पेश करते। अपीलांट द्वारा सहायक कलक्टर डेगाना के न्यायालय मे जो वाद पेश किया, उसमे स्वयं दोनो रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण है और दोनो ने जवाब भी पेश किया है। ऐसी हालात मे उनको अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद की पूरी जानकारी होते हुए भी धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत अलग से कार्यवाही करने का कोई कानूनी अधिकार न होते हुए भी गांव के लोगो के राजनैतिक प्रभाव मे आकर बदनियति से सारी कार्यवाही मिलावट से करके यह निर्णय करने मे बडी भारी भूल की है।

{2}(IV)–जब स्वयं "बाड खेत को खाने लग जाये" ऐसी हालत मे किसके पास पुकार लगायी जायेगी। दोनो रेस्पोडेन्ट जब सहायक कलक्टर, डेगाना के न्यायालय मे वाद बुधाराम बनाम सरकार मे प्रतिवादीगण है और उन्होने जवाब भी पेश किया है, फिर भी इसके बावजूद उन्हे अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमी घोषित करने व धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करके बेदखल करने का कोई अधिकार न होते हुए भी यह सारी कार्यवाही बदनियति से करके अपीलांट व उनके वकील की जानबूझकर अनुपस्थिति दर्ज करके निर्णय जैर अपील पारित करने मे बडी भारी भूल की है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा माण्डलजोधा में स्थित गै.मु. सडक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके माण्डलजोधा के खसरा नंबर 178, 179 व 238 गै.मु. सडक भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर